रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.—33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 2013/पौष 7, 1935
No. 625] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 2013/PAUSHA 7, 1935

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 2013

सा. का. नि. 802(अ).—केन्द्रीय सरकार दामोदर घाटी निगम अधिनियम,1948 की धारा 5,8 और धारा 59 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य-सचिव की सेवा की शर्तों और अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दामोदर घाटी निगम (निगम के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) अभिप्रेत है ।

(ख) "अध्यक्ष" से निगम का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. भर्ती की पद्धति : पदों को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीएसइबी) के माध्यम से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा।

4. वेतन : अध्यक्ष को औद्योगिक मंहगाई भत्ते सहित 80,000-1,25,000 रुपए के वेतनमान में वेतन दिया जाएगा, सदस्यों और सदस्य-सचिव को औद्योगिक मंहगाई भत्ते सहित 75,000-1,00,000 रुपए के वेतनमान में वेतन दिया जाएगा ।

5. प्रास्थिति : अध्यक्ष का पद भारत सरकार के सचिव के समतुल्य होगा और सदस्य(यों) तथा सदस्य-सचिव का पद भारत सरकार के अपर सचिव के समतुल्य होगा ।

6. पात्रता : (1) आयु : (i) अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) न्यूनतम 45 वर्ष ;

(ख) दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों के लिए 58 वर्ष और अन्य के लिए 57 वर्ष से अधिक नहीं ।

(ii) सदस्य-सचिव : अधिकतम 55 वर्ष ।

(2) अर्हता और अनुभव : (i) अध्यक्ष - (क) भारत सरकार में 67,000-79,000 रुपए के वेतनमान में सरकारी अधिकारी या समतुल्य वेतनमान में अधिकारी, या

(ख) दो वर्ष की सेवा सहित औद्योगिक मंहगाई भत्ते के साथ 62,000-80,000 रुपए या केन्द्रीय मंहगाई भत्ते के साथ 67,000-79,000 रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के कार्यपालक पदधारी या

(ग) एक वर्ष की सेवा सहित 67,000-79,000 रुपए के वेतनमान में दामोदर घाटी निगम के अधिकारी

टिप्पण: अधिकारी के पास विद्युत क्षेत्र, प्रबंधन, वित्त में अनुभव हो तथा एमबीए की अर्हता होना वांछनीय है ।

(ii) सदस्यों - (क) भारत सरकार में 37,000-67,000 रुपए के वेतनमान के साथ 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन में सरकारी अधिकारी या समतुल्य वेतनमान में अधिकारी, या

(ख) दो वर्षों की सेवा सहित औद्योगिक मंहगाई भत्ते के साथ 51,300-73,000 रुपए या केन्द्रीय मंहगाई भत्ते में 37,400-67,000 रुपए के वेतनमान के साथ 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर के कार्यपालक पदधारी, या

(ग) एक वर्ष की सेवा सहित 37,000-67,000 रुपए के वेतनमान के साथ 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन में दामोदर घाटी निगम के अधिकारी ।

(घ) सदस्य (तकनीकी) : आवेदक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वरीयत विद्युत यांत्रिक, इंजीनियरी में स्नातक हो तथा उसके पास सिंचाई, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन के कार्य का अनुभव हो।

सदस्य (वित्त) : आवेदक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वित्त में विशेषज्ञता सहित कास्ट एकाउंटेंट/चार्टर्ड एकाउंटेंट/एमबीए हो और उसके पास किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में लागत तथा बजटीय नियंत्रण, संस्थागत वित्त कार्य पूंजीगत प्रबंधन सहित कारपोरेट वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा में ज्येष्ठ स्तर पर कार्य का अनुभव हो ।

(iii) सदस्य - सचिव : (क) भारत सरकार में 37,000-67,000 रुपए के वेतनमान के साथ 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन में सरकारी अधिकारी या समतुल्य वेतनमान में अधिकारी, या

(ख) दो वर्षों की सेवा सहित औद्योगिक मंहगाई भत्ते के साथ 51,300-73,000 रुपए या केन्द्रीय मंहगाई भत्ते में 37,400-67,000 रुपए के वेतनमान के साथ 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक पदधारी , या

(ग) एक वर्ष की सेवा सहित 37,000-67,000 रुपए के वेतनमान के साथ 10,000 रुपए के ग्रेड वेतन में दामोदर घाटी निगम के अधिकारी ।

(घ) आवेदक अधिमानतः मानव संसाधन (एचआर)/औद्योगिक संबंध (आईआर) में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर हो । आवेदक के पास व्यवहार संबंधी विज्ञान, संगठन संरचना, सामग्री प्रबंधन का ज्ञान हो तथा वित्तीय आयोजना और इसके नियंत्रण तथा साथ ही साथ सामान्य प्रशासन का भी ज्ञान हो । उसे बड़े संगठन में ज्येष्ठ स्तर पर कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए ।

7. पदावधि : (1) अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेंगे ।

(2) जब अध्यक्ष रूगणता या अन्य असमर्थता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब आवश्यकता होने पर केंद्रीय सरकार अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगी तथा इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष द्वारा अपना कार्य संभाल लेने तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा ।

(3) जब अध्यक्ष के कार्यालय में, उसकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण रिक्ति उत्पन्न हो जाए तब आवश्यकता होने पर केंद्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी तथा ऐसा नामनिर्दिष्ट सदस्य, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन नए नामांकन द्वारा रिक्ति के भरे जाने तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा ।

8. कर्तव्य : (1) अध्यक्ष निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा प्रमुख होगा और इसके निदेशक बोर्ड एवं सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा । अध्यक्ष अपने बहु-मुखी कार्यों के संबंध के संकल्पनात्मक सोच, नीति तैयार करने और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होगा । अध्यक्ष के विस्तृत कार्यों में दामोदर घाटी निगम के उद्देश्यों की इष्टतम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों (ताप विद्युत केन्द्रों एवं बांध सहित) के प्रशासनिक कार्यों के दीर्घ क्षेत्र नियोजन, आयोजन, समन्वय और नियंत्रण के लिए आवश्यक होते हैं । वह निगम के कारपोरेट उद्देश्य और निष्पादन पैरामीटर्स को प्राप्त करने के लिए इसकी कुशल कार्य-प्रणाली के लिए उत्तरदायी होगा । वह भारत सरकार, झारखंड सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा अन्य सार्वजनिक/निजी कंपनियों के साथ निकट संपर्क बना कर रखेगा । वह अन्य सदस्यों की सलाह तथा सहायता से प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मामलों पर निकटतम संबंध बनाए रखेगा ।

(2) सदस्य (वित्त) निदेशक बोर्ड का सदस्य होगा और अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा । वह संगठन के सभी वित्तीय/वाणिज्यिक/लेखा/लेखा-परीक्षा कार्यों का संपूर्ण प्रभारी होगा और वित्तीय नीतियों का विकास तथा उन्हें तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा । वह वित्त का प्रबंध करने, संविदा के मामले में सलाह देने, क्षमता उपयोग, विद्युत के विपणन, बेची गई विद्युत की वसूली और कारपोरेट उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप पीपीए, वाणिज्यिक नीतियों और दिशा-निर्देशों सहित ठोस कारपोरेट बाजार नीतियों को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के माध्यम से बाजार के विस्तार के लिए और ग्राहकों तथा अन्य पणधारियों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) सदस्य (तकनीकी) निदेशक मंडल का सदस्य होगा तथा अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा । वह निगम के सभी तकनीकी/परिचालन संबंधी मामलों का भारसाधक होगा और प्रौद्योगिक/परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निगम को दिशा-निर्देश देगा । वह विद्युत संयंत्रों के उचित प्रचालन और अनुरक्षण, कोयला ब्लॉकों तथा खानों के विकास को सुनिश्चित करने और नवीकरण/आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उत्तरदायी होगा । उत्तरदायित्वों में विद्युत संयंत्र का कुशल और लाभप्रद प्रचालन, नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सिविल इंजीनियरी का पर्यवेक्षण तथा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति और जल निकास सहित जल संसाधन प्रबंधन शामिल हैं । विद्युत संयंत्रों (ताप, जलविद्युत, गैस, सौर, पवन ऊर्जा इत्यादि) से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, ईंधन प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन भी उनके दायित्व में होगा ।

(4) सदस्य - सचिव निगम का सदस्य होगा तथा अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा । वह प्रशासन जैसे कार्मिक नीतियों के समन्वय और कार्यान्वयन प्रबंधन कार्यों, प्रशासनिक नियंत्रण आदि का पूर्ण भारसाधक होगा । वह निगम की औद्योगिकीय संबंधी नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कार्यों सहित विकास का भारसाधक होगा । भूमि अर्जन, संपर्क कार्य, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन (आरएण्डआर), कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजभाषा, सामाजिक विकास, प्रबंधन, सूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा संयुक्त उद्यमों से संबंधित कार्यों का दायित्व होगा। वह बोर्ड की बैठकें आयोजित करवाएगा तथा कार्यवाहियों के कार्यवृत्त तैयार करवाएगा । वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड की कार्यवाहियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

[फा.सं. 1/1/2012-डीवीसी]

जी. साई प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

G. S. R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5, 8 and sub-sections (1) and (2) of section 59 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948, the Central Government hereby makes the following rules regulating the terms and other conditions of service of the Chairman, Members, Member-Secretary of the Damodar Valley Corporation, namely :—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Damodar Valley Corporation (salaries, allowances and other conditions of service of the Chairman, Members and Member-Secretary of the Corporation) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948).

(b) "Chairman" means the Chairman of Corporation.

3. **Method of recruitment: –**The posts will be filled on deputation basis through the Public Enterprises Selection Board (PESB) with the approval of Appointment Committee of Cabinet (ACC).

4. **Salaries:** – The Chairman shall be paid a salary in the scale of rupees 80,000 – 1,25,000 on Industrial Dearness Allowance, Members and Member-Secretary shall be paid a salary in the scale of rupees 75,000 – 1,00,000 on Industrial Dearness Allowance.

5. **Status: -** The post of Chairman shall be equivalent to the Secretary to the Government of India and the post of Member(s) and Member-Secretary shall be equivalent to the Additional Secretary to the Government of India.

6. Eligibility:- (1) Age: – (i) Chairman and Members, -

(a) Minimum 45 years;

(b) not more than 58 years for the officers of Damodar Valley Corporation and not more than 57 years for others.

(ii) Member-Secretary – Maximum 55 years.

(2) Qualification and Experience: – (i) Chairman – (a) Government Officers in the scale of rupees 67,000 – 79,000 in the Government of India or officers in equivalent scale of Pay, or

(b) Central Public Sector Executive holding posts in the scale of rupees 62000-80000 with Industrial Dearness Allowance or rupees 67000-79000/- with Central Dearness Allowance with two years of service, or

(c) Officers of Damodar Valley Corporation in the scale of rupees 67,000-79,000 with one year of service.

Note: — The officer having experience in Power Sector, Management, Finance and having qualification of MBA is desirable.

(ii) Member (s):- (a) Government Officers in the scale of rupees 37,000 – 67,000 with Grade Pay Rupees 10,000/- in the Government of India or officers in equivalent scale of Pay, or

(b) Central Public Sector Executive holding posts in the scale of rupees 51300-73000 with Industrial Dearness Allowance or rupees 37400-67000 with Grade Pay rupees 10,000 with Central Dearness Allowance with two years of service, or

(c) Officers of Damodar Valley Corporation in the scale of rupees 37,000 – 67,000 with Grade Pay Rupees 10,000/- with one year of service.

(d) Member (Technical): — The applicant shall be a graduate in Engineering preferably in Electrical/Mechanical from a recognized university/institution having experience of working in irrigation, water supply and power generation.
Member (Finance):- The applicant shall be a Cost Accountant/Chartered Accountant/MBA with specialisation in Finance from a recognised University/Institution having experience of working at a senior level in Corporate Financial Management and Accounts including Costs and Budgetary Control, Institutional Finance, Working Capital Management in an organisation of repute.

(iii) Member –Secretary:— (a) Government Officers in the scale of rupees 37,000–67,000 with Grade Pay Rupees 10,000/- in the Government of India or officers in equivalent scale of Pay, or

(b) Central Public Sector Executive holding posts in the scale of rupees 51300-73000 with Industrial Dearness Allowance or rupees 37400-67000 with Grade Pay rupees 10,000 with Central Dearness Allowance with two years of service, or
(c) Officers of Damodar Valley Corporation in the scale of rupees 37,000–67,000 with Grade Pay Rupees 10,000 with one year of service.

(d) The applicant shall be a post graduate, preferably with specialisation in Human Resources (HR) / Industrial Relation (IR). The applicant should have knowledge of Behavioral Science, Organisation Structural, Material Management and knowledge of the Financial Planning and its control as well as general administration. He should also have experience of working at a senior level in a large organization.

7. **Tenure of office** :–(1) The Chairman and Member(s) shall hold office for a period of five years from the date on which he joins the post or till he attains the age of superannuation.

(2) When Chairman is unable to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the Central Government if so required shall nominate any other Member to act as Chairman and the Member so nominated shall hold office of Chairman until the Chairman resumes office.

(3) When a vacancy occurs in the office of the Chairman by reason of his death or resignation, the Central Government shall nominate any other Member to act as Chairman and the Member so nominated shall hold office of Chairman under the vacancy is filled by a fresh nomination under sub-section (1) of section 4 of the Act.

8. **Duties** :– (1) Chairman shall be the Chief Executive Officer and Head of the Corporation and accountable to its Board of Directors and Government. Chairman will be primarily responsible for conceptual thinking, policy formulation and issuing directions in relation to its multi-pronged activities. Detailed functions of the Chairman entail long range planning, organizing, coordination and control over the administrative activities of the various departments (including Thermal Power Stations and Dams) to ensure optimal achievement of the objectives of Damodar Valley Corporation. He will be responsible for the efficient functioning of the Corporation for achieving its corporate objectives and performance parameters. He will maintain close liaison with Government of India, Government of Jharkhand, Government of West Bengal and other Public/Private Companies. He will keep close interface with administrative, technical and financial matters with the advice and assistance of other Members.

(2) Member (Finance) will be a member of Board of Directors and reports to the Chairman. He will be the overall in charge of all financial/commercial/ accounts/audit functions of the organization and responsible for evolving and formulating financial policies. He will be responsible for arranging finance, advising in matters of contracts, Capacity utilization, marketing of electric power, realization of power sold and expansion of markets through formulation and implementation of sound corporate market policies including PPA, commercial strategies and guidelines in line with corporate objectives and goals and promote healthy relationship with customers and other stake holders.

(3) Member (Technical) will be a member of Board of Directors and report to Chairman. He will be incharge of all technical/operational matters of the Corporation and guide the Corporation to achieve technological/operational excellence. He will be responsible for ensuring proper operation and maintenance of power plants, development of coal blocks and mines and to improve productivity through renovation/modernizations programmes. Responsibilities include efficient and profitable operation of Power Plant, implementation of new projects, supervision of civil engineering and water resource management including irrigation, flood control, water supply and drainage. Leveraging the technology to achieve competitive advantage to power plants (Thermal, Hydel, Gas, Solar, Wind etc.), Fuel Management and Materials Management will also be his responsibility.

(4) Member-Secretary will be a member of Corporation and report to Chairman. He shall be overall in charge of Administration such as coordinating and implementing personnel policies, management functions, administrative control etc. He shall be in charge of development including industrial relation policies of the corporation and activities related to international cooperation. Responsibility for land acquisition, liaison, Rehabilitation and Resettlement (R&R), Corporate Social Responsibility (CSR), Raj Bhasha, Social Development, Management Information System (MIS) & Information Technology (IT) and activities connected with Joint Ventures. He will be conducting the Board meetings and will be minuting the proceedings. He will be responsible for conduct of Board proceedings as per the provisions of the Act.

[F.No.1/1/2012-DVC]
G. SAI PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.